न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या—14 / 2026

1. लिछमण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन दनियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. ममता पत्नि लिछमण जाति जाट साकिन दनियासर तहसील पल्लू।
3. रमन पुत्र महावीर जाति जाट साकिन दनियासर तहसील पल्लू ।

— निगरानी कर्ता

1. अध्यक्ष प्रशसन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति रावतसर।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति रावतसर तहसील रावतसर।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दनियासर तहसील पल्लू तहसील रावतसर।
5. सरंपच ग्राम पंचायत दनियासर तहसील पल्लू।
6. ओमप्रकाश पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी बन्नासर तहसील पल्लू।
7. विनोद कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बनासर तहसील पल्लू।
8. रामकुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी बनासर तहसील पल्लू।

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्त प्रार्थीगण।

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—01

श्री मांगेराम गोदारा अधिक्ता अप्रार्थी संख्या—6 ता 8

निर्णय दिनांकः— 13/5/2026

प्रार्थीगण लिछमण पुत्र मनफुल, ममता पत्नि लिछमण, रमन पुत्र महावीर द्वारा न्यायालय पंचायत समिति रावतसर के अनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम ग्राम विकास अधिकारी आदि अपील संख्या 15 / 2025 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 को, अपारत बात निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. मातहत अदालत में एक अपील अप्रार्थीगण सं. 4, 5 व 6 द्वारा इस आशय के साथ पेश की गयी कि गांव बन्नासर की आबादी [illegible] भूखण्ड साईज 150 गुणा 150 फुट का पुराना कब्जा शुदा भूखण्ड है लिछमण [illegible] अपनी माता के सरपंच होने का फायदा उठाकर तीन पट्टे फर्जी बना लिये, जो विधि विरूद्ध है। उन्हें [illegible] किया जावे, पेश होने पर पंचायत समिति द्वारा नोटिस जारी किये गये है। रेसपोडेन्ट सं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:37 IST
Reason: SelfAttested

1 को तामिल होने पर प्रार्थना पत्र दिया कि पचांयत समिति के किसी प्रकरण में बलाया है। अन्य की अनपुस्थिति दर्ज दिनांक 08.12.2025 को एक पक्षीय बिना सुनवाई के बिना न्यायिक प्रक्रिया अपना निगरानीकृत आदेश पारित किया, जो निम्न आधारो पर अपास्त योग्य है–

1. मातहत अदालत का आदेश मन माना स्वेच्छारिता पूर्ण व विधि विरूद्व है क्योंकि अपील किसी आदेश की अथवा निर्णय अथवा डिक्री के विरूद्व होती है। अपील मात्र कयास के आधार पर पेश की गयी है। अपील के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किया, जिसके विरूद्ध कोई अपील में राहत चाही गयी हो। जब कोई दस्तावेज निर्णय अथवा पट्टा पत्रावली अपील के साथ पेश ही नही है तो मातहत अदालत ने निर्णय किस आधार पर पारित किया विचारणीय बिन्दु ऐसा कृत्य घोर कानून विरोधी है, किस आधार पर मातहत अदालत को पता चला है कि पट्टे जिनके नम्बर अपने विधि विरूद्व निणय के दिये है, कैसे पता चला व कैसे खारीज किये जब पत्रावली में पट्टो की नकल ही नही थी तो निर्णय कैसे पारित किया ऐसे कृत्य विधि विरूद्व व मनमाने है, जो अपास्त योग्य है।

2. निरानीकृत आदेश में जमाबन्दीया कोई पेश होना दर्ज किया है जमाबन्दी को खातेदारी या कृषि भूमि की होती है जबकि प्रार्थीगण का प्लाट तो आबादी भूमि है अप्रार्थीगण अपना कब्जा काश्त बता कर अपील पेश की। इसी प्रकार एक अन्य अपील इन्ही पट्टो की बृजलाल पुत्र हनुमान जाट निवासी बनासर ने अपील सं. 17/2025 पेश कर रखी थी जिसमें उसने स्वंय का पुश्तैनी कब्जा बताकर 18624 वर्गफुट पर पट्टो जारी होने का तथ्य दर्ज कर पटटे खारीज करने की इस्तदुआ चाही थी तथा जो तथ्य इस निगरानीकृत अपील मे है वे ही तथ्य बृजलाल ने अपनी अपील में दर्ज किये थे उसमें भी दिनांक 08.12.2025 को पंचायत समिति द्वारा निर्णय पारित किया है। जब दानो अपीले ही एक दुसरे की विरोधीभाषी है तो निर्णय एक ही दोनों अपीलों में कैसे पारित किया, इससे स्पष्ट है कि मातहत अदालत ने व्यक्तिगत व राजनैतिक द्वेषता से पारित निर्णय है इसी आधार पर निगरानीकृत आदेश अपास्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने दोनों अपील सं. 15/2025 व अपील सं. 17/2025 मे दोनो अपीलों में अपीलान्ट का कब्जा मानकर प्रार्थीगण के पट्टे खारिज करने के आदेश जारी किये है वे मातहत अदालत के निर्णय से ही स्पष्ट कि दोनों अपीलों में अलग–अलग अपीलान्ट है। अलग–अलग लोगो का कब्जा बताना स्वतः ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

विधि विरूद्व व निर्णय शंका पैदा करने वाला है तथा मातहत अदालत की मंशा को जाहिर करता है। इसी आधर पर निगरानी स्वीकार योग्य है।

4. मातहत अदालत ने विधि की घोर उल्लंघन किया उसके द्वारा पारित निर्णय न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नही आता है क्योंकि अपील में कोई निर्णय या पट्टो शामिल नही था तो अपील पर विचार ही नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण के पट्टे उप पंजीयक पल्लू से तहरीर व तस्दीक शुदा पंजीयन शुदा है। उनकी प्रमाणित प्रति कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अपील में शामिल किये वगैर निर्णय पारित किया वो गलत व अपास्त योग्य है।

5. एक अपील में प्रार्थीगण के पट्टों को कृषि भूमि मानकर जांच की दुसरी अपील में किसी अन्य के पट्टे जाहिर कर जांच की है, जो दोनो विरोधाभाषी है। निगरानी कृत आदेश निरस्त योग्य है।

6. निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है तथा निगरानीकृत आदेश का ज्ञान दिनांक 15.02.2026 को हुआ जब अप्रार्थीगण ने धमकी दी की तुम्हारा पट्टे खारीज करवा दिये है। हम तुम्हारा कब्जा तुड़वायेगे तब रावतसर आकर दिनांक 16.02.2026 को नकल प्राप्त कर तुरन्त निगरानी पेश कर रहा है। इस निगरानीकृत आदेश एक पक्षीय निर्णय का कभी भी प्रार्थीगण को ज्ञान नही रहा है। इसलिए ज्ञान से अन्दर मियाद पेश कर रहा है, फिर भी निगरानी की कोई सीमा समय पश्चात एक्ट दर्ज नही है इसलिए अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत पचायत समिति रावतसर से अनवानी अपील ओमप्रकाश बनाम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दनियासर अपील सं. 15/2025 तलब फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 08.12.2025 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थी संख्या. 1 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–3, 4 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या–6 ता 8 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब ... अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ... वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टे की नकल के बिना ही अधीनस्थ पंचायत समिति, रावतसर में अपील पेश की गई एंव दोनों पत्रावलीयों के निर्णय किया गया। बिना पट्टा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किये अपील योग्य थी। एक पत्रावली में विवादित भूखण्ड को कृषि भूमि बताया गया है जबकि दुसरी पत्रावली में भूखण्ड पर कब्जा माना गया हैं। एक भूखण्ड एक ही है लेकिन दोनों पत्रावलीयों कें आधार अलग—अलग है। दोनों पत्रावलीयों एक ही पट्टे का अलग—अलग निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति रावतसर द्वारा पारित किया गया है। एक अपील केवल एक पट्टे की जा सकती है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पट्टा बहाल किया जावें एंव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि लिछमण की माता रामी पत्नी मनफुल वर्तमान में सरपंच है। इसी का फायदा उठाकार प्रार्थी द्वारा अपने, ममता एंव रमन के नाम से तीन पट्टे बना लिये। विवादित पट्टै का भूखण्ड काफी पुराना है। प्रकरण संख्या 17/2025 वर्णित ग्राम पंचायत दनियासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 11, 21 25 दिनांक 20.02.2024 के भूखण्ड का दिनांक 17.06.1986 को बृजलाल के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। प्रकरण संख्या 15/2025 में वर्णित विवादित भूखण्ड औमप्रकाश रामकुमार, विनोद कुमार का सुल्तानराम से खरीदशुदा है। समस्त भूखण्ड को मिलाकर प्रार्थी द्वारा अपने, ममता, रमन के नाम से तीन पट्टे तीनो वारिसों के नाम राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) तहत जारी करवा लिये लेकिन प्रार्थीगण को उक्त पट्टे के भूखण्ड पर कब्जा नहीं है। गांव के एक 80 वर्ष के बुजुर्ग मिस्त्री द्वारा अपने बयान मे बताया कि उसके द्वारा मकान बनाया है। निगरानी प्रकरण संख्या 14/2026 में वर्णित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 6, 7 का कब्जाशुदा भूखण्ड है एंव निगरानी संख्या 13/2026 में वर्णित भूखण्ड पर बृजलाल का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन प्रार्थीगण बाद तामिल हाजीर नहीं हुए। सरपंच द्वारा अपीलधीन पट्टों का रिकार्ड देनें से इन्कार कर दिया गया। प्रार्थीगण दनियासर गांव के निवासी है जबकि पट्टे बन्नासर गांव के भूखण्ड के है। ग्राम पंचायत दनियासर द्वारा पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 सही है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति रावतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक

जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

08.12.2025 में अंकित किया है कि'' *भूखण्ड अपीलांट का पट्टाशुदा व अपीलांट के पुराने वैध कब्जा में होना साबित है।''* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज पट्टो के भूखण्ड का दिनांक 17.06.1986 को बृजलाल के नाम से ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है एंव भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 6, 7 का कब्जाशुदा भूखण्ड है

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एंव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2025 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)
सत्यमेव जयते

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:37 IST
Reason: SelfAttested